झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0 श्री लोबिन हेम्ब्रम स0वि0स0	दुमका जिला का प्रखण्ड- शिकारीपाड़ा, रामेश्वर में अनुसूचित जनजाति बाहूल्य क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसान व मजदूरी है। उपरोक्त प्रखण्ड में कैराबनी जलाशय योजना अन्तर्गत सिंचाई नहर निर्माण हेतु स्थानीय किसानों की खतियानी भूमि पंचायत-पलासी (प्रखण्ड-शिकारीपाड़ा) एवं पंचायत मोहुलबन्ना, पंचायत-धनभाषा (प्रखण्ड-रामेश्वर) अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अबतक किसानों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। अतः अधिगृहित **भूमि की मापी कर मुआवजा भुगतान** ग्राम- बुटबरिया के अंतिम पी0सी0सी0 नहर से तीनसीमानी तक एवं ग्राम-पर्वतपुर जामकांदर, राजबाँध के **मेन नहर का पी0सी0सी0 निर्माण कार्य कराने** व दिग्गलु पहाड़ी डैम सिंचाई योजना के नियम के तहत् **जलकर मुक्त** करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	जल संसाधन
02-	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री सोनाराम सिंकु स0वि0स0	सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखण्ड अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत आता है। अनुसूचित क्षेत्रों में नियमानुसार किसी भी प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्रों में फेरबदल या परिवर्त्तन करने के लिए ग्राम सभा एवं आम लोगों कि सहमति लेना आवश्यक है। जलडेगा थाना से काटकर ओडगा ओ0पी0 बनाया गया है। जलडेगा से ओडगा ओ0पी0 बनाते समय ग्रामसभा एवं आम लोगों से	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		सहमति नहीं ली गई थी। जिसके कारण जलडेगा थाना से केलुगा, मयोमडेगा एवं खरवागढ़ा राजस्व ग्रामो कि दूरी क्रम सह 02, 05, और 06 कि०मी० है। इन तीनों गाँवों की दूरी ओड़गा ओ०पी० से 20.30 कि०मी० के करीब है। उसी प्रकार ओड़गा ओ०पी० से सारूबहार एवं जोनोदा राजस्व ग्रामों की दूरी 04 एवं 05 कि०मी० है जो करीब जलडेगा से 26 एवं 27 कि०मी० के अन्दर आता है इस तरह के गलत सीमांकन होने के कारण लोगों को बहुत ही लम्बा रास्ता तय करना पड़ रहा है। जिस कारण गाँव वालों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सारूबहार एवं जोनोदा राजस्व ग्राम को जलडेगा थाना से हटाकर ओड़का ओ०पी० में जोड़ा जाय और केलुगा, मयोमडेगा एवं खरवागढ़ा को जलडेगा थाना में जोड़ा जाय। अतः इन अनुसूचित राजस्व ग्रामों की परेशानियों को देखते हुए अविलम्ब आम सभा बुलाकर ग्राम सभा एवं आम लोगों की सहमति लेकर उनके अनुरूप थाना क्षेत्र का सीमांकन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री डुलू महतो स०वि०स० डॉ० लम्बोदर महतो स०वि०स० श्री बिरंची नारायण स०वि०स०	राज्य में जैर न्यायिक मुद्रांक (JNS) की बिक्री निबंधित मुदांक बिक्रेताओं प्रज्ञा केन्द्रों एवं सरकारी बैंक के माध्यम से किया जा रहा था। जिस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था बाद में भारत सरकार के उपक्रम स्टॉक होल्डिंग कंपनी लि० जो भारत सरकार के आदेश पर केन्द्रीय दस्तावेज अभिकरण (सेंटर रिकोर्ड किपिंग एजेन्सी की तरह काम कर रही थी) पूर्व के तेलगी स्टाम्प घोटाला को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के निगरानी में सभी सुरक्षा मापदण्डों से परिपूर्ण ई-स्टॉम्प की व्यवस्था विकसित की गयी जिसमें स्टॉम्प	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ०पृ०30-

01.	02.	03.	04.
		होल्डिंग कंपनी को 0.65 प्रतिशत कमीशन पर कलर स्टेशनरी पेपर विशेष चुम्बकीय धागे एवं वाटर कलर मार्क से सम्माहित सुरक्षा पेपर पर स्टाम्प की छपाई के कारण किसी भी नकलीपन की गुंजाईश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। परन्तु विभागीय अधिसूचना संख्या-408/वि0 दिनांक- 24.08.2020 द्वारा स्टॉक होल्डींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ई-स्टाम्प की बिक्री को समाप्त कर दिया गया वर्त्तमान में विभाग ने तथाकथित कमीशन राशि की बचाने के चक्कर में राज्य में पुनः तेलगी जैसे घोटाले का द्वार खोल दिया है क्योंकि E-Grass Module में साधारण ए-4 पेपर पर मुद्रांक प्रिंटिंग का कार्य पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है एक ही भुगतान पर बिचौलियों द्वारा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर बहुत सारे ई-स्टाम्प निकालकर राजस्व की क्षति सरकार को पहुँचा रहे है। E-Grass व्यवस्था में विभाग का नियंत्रण बहुत ही आंशिक एवं नगण्य है। बिचौलिये निरंकुश रूप से आम जनता का दोहन एवं सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचा रहे है। इसका साक्षात उदाहरण राजधानी राँची के जिला मुख्यालय में देखा जा सकता है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोड किनारे अंडा, पपीता, किताब बेचने वाले और कैफे में आम जनता से अधिक राशि लेकर बिचौलियों के माध्यम से स्टाम्प उपलब्ध है और जनता त्रस्त है। अतः राजकोष को गंभीर नुकसान से एवं आम जनता को बिचौलियों से बचाने हेतु तत्काल कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान इस गंभीर विषय पर आकृष्ट कराते है।	
04-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	फरवरी 2010 से जल संसाधन विभाग के कुछ कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता में नियमित प्रोन्नति हेतु JPSC द्वारा अनुशंसा की गयी थी। परन्तु विभाग द्वारा अलग-अलग गलत Facts को बतलाते हुए JPSC के आलोक में प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी, इनमें से कुछ एक को 2014 में कुछ एक को 2018 में प्रोन्नति दी गयी, जिससे इन्हें -	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
		वित्तीय हानी हुई तथा विभाग के प्रबंधन कोषांग-पदाधिकारियों को गलत प्रोत्साहन मिला। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि JPSC द्वारा वर्ष 2010 के अनुशंसा पत्र के आलोक में उक्त तिथि से प्रोन्नति का लाभ दिया जाय एवं प्रोन्नति लंबित रखने वाले पदाधिकारियों को दंडित किया जाय।	
05-	श्री इन्द्रजीत महतो स0वि0स0 श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0 श्री अमित कुमार मण्डल स0वि0स0	झारखण्ड के धनबाद, बोकारो, जामताड़ा दुमका, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, राँची, रामगढ़ जिलों में मंडल (सुंड़ी) जाति निवासरत है। राज्य में मंडल (सुंड़ी) जाति के लोगों की आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए है। इस जाति को आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के कारण पश्चिम बंगाल और असम राज्य में अनुसूचित जाति के सूची में रखा गया है। राज्य के मंडल (सुंड़ी) जाति के लोगों द्वारा लम्बे समय से बंगाल और असम के तर्ज पर अनुसूचित जाति में शामिल करने की माँग की जाती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करते है कि झारखण्ड राज्य में निवासरत मंडल (सुंड़ी) जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 17 मार्च, 2021 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-प्र0व्या0-03/2021-...1393.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ जल संसाधन विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/21

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0व्या0-03/2021-...1393.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 16/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/21

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

16/03/2021